

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

---000---

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17/01/2025

क्रमांक एफ 2-32/2024/20-तीन :: मंत्रि-परिषद् आदेश दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 में प्राचार्य ई एवं टी संवर्ग को समयमान वेतनमान दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि ई एवं टी संवर्ग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु मात्र एक बार की छूट दी जाती है।

2/ उक्त मंत्रि-परिषद् आदेश के परिपालन में राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 28/04/2004 में निहित प्रावधानानुसार स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ निम्नलिखित प्राचार्य (ई-संवर्ग) के अधिकारियों वेतनमान रूपये रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु 6600/- को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित दिनांक से द्वितीय उच्चतर वेतन 15600-39100+ग्रेड पे रु. 7600/-सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 स्वीकृत करता है :-

क.	अधिकारी का नाम	प्राचार्य संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि	16 वर्ष पश्चात द्वितीय उच्चतर समयमान वेतन देय तिथि
1	2	3	4
1	श्री कृष्ण कुमार उद्देश	01.01.1999	01.01.2015
2	श्रीमती दिव्या क्लारेट लकरा	14.01.1999	14.01.2015
3	श्री रघुवर साय	19.04.1999	19.04.2015
4	श्रीमती कूसधारिणी टोप्पो	07.04.1999	07.04.2015



5	श्री रीझन राम भगत	07.04.1999	07.04.2015
6	श्रीमती सुकेषनी वाल्टर कच्छप	01.04.1999	01.04.2015
7	श्रीमती सौरिन चन्द्रसेन	24.02.2003	24.02.2019
8	श्री नरेन्द्र कुमार पंचाभावे	27.06.2003	27.06.2019
9	श्री बिरझू राम बंजारे	19.07.2003	19.07.2019
10	श्री एस.एन.सिंह	27.06.2003	27.06.2019
11	श्री देवी सिंह नेताम	14.10.2003	10.04.2019
12	श्रीमती अंजना खाखा	27.06.2003	27.06.2019
13	श्री पी.पी.खलखो	17.07.2003	17.07.2019
14	श्रीमती मदनावती सेठ	20.09.2003	20.09.2019
15	श्रीमती निर्मला जसिन्ता एक्का	27.06.2003	27.06.2019
16	श्रीमती ईमिलिया खाखा	12.07.2003	12.07.2019
17	श्री आर.एन.सिंह	14.07.2003	14.07.2019
18	श्रीमती दुर्गा भगत	27.06.2003	27.06.2019
19	श्री नारद सिंह मानकर	27.06.2003	27.06.2019
20	श्री सुखदेव राम बघेल	27.06.2003	27.06.2019
21	श्री खोरबाहरा राम ठाकुर	06.06.2003	06.06.2019
22	श्री माखन लाल पटैला	19.09.2003	19.09.2019



23	श्रीमती सिलमन्ती तिर्की	03.07.2003	03.07.2019
24	श्री पीताम्बर दास ओगरे	14.07.2003	14.07.2019

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्र. 5287/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2023 के परिप्रेक्ष्य में सरल क्रमांक-03 पर अंकित श्री रघुवर साय को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-50/2024/20-तीन, दिनांक 04.11.2024 द्वारा द्वितीय समयमान-वेतनमान दिये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

3/ उच्चतर वेतनमानों में वेतन नियतन पश्चात् अधिकारियों के वेतन नियतन कार्यालय प्रमुख/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित संभागीय संचालक कोष लेखा एवं पेंशन से सत्यापित कराएं अन्यथा की स्थिति में आधिक्य भुगतान की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों की होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर. पी. वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 2-32/2024/20-तीन,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17/01/2025

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 2. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,
 3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 4. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, छत्तीसगढ़,
 6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....,
 7. जिला कोषालय अधिकारी.....,
 8. संबंधित अधिकारी.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग